भारत सरकार
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2488
6 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

नीली क्रांति योजना

2488 श्री पटेल उमेशभाई बाबूभाईः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरकार की 'नीली क्रांति' योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) मछुआरों के कल्याण तथा समुद्री मत्स्य पालन एवं अवसंरचना एवं उत्पादनोत्तर प्रचालनों के विकास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत परिकल्पित अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेशों में उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की है या खर्च की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए टिकाऊ (सस्टेनेबल) विकास एवं अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए विभिन्न घटकों के साथ नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस): मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन लागू किया गया था । समुद्री इनफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों का विकास के उप-घटक के अंतर्गत पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं (क्राफ्ट्स) के आधुनिकीकरण, सुरक्षा किट, जाल और नावों की रीपलेसमेंट, समुद्री शैवाल (सी वीड) और समुद्री कृषि को बढ़ावा देने, डीप सी फिशिंग वेसेल्स के अधिग्रहण, फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स के विकास, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स और मार्केटिंग इनफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी । सीएसएस में मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना घटक के अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान बचत-सह-राहत, मछुआरों के घर, समूह दुर्घटना बीमा कवरेज और पानी और सामुदायिक हॉल जैसी बुनियादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ।

मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के दृष्टिकोण के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20050 करोड़ रुपये के निवेश से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक अन्य योजना को लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय , भारत सरकार ने पिछले चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान

विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की मत्स्य विकास परियोजनाओं को 7726.27 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 18730.55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। समुद्री मत्स्य पालन अवसंरचना और कटाई उपरांत परिचालनों के विकास पर सीएसएस के तहत पहले कार्यान्वित मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना (एनएसडब्ल्यूएफ) से संबंधित प्रमुख घटकों को अब पीएमएमएसवाई की नई योजना के तहत जारी रखा गय□ है। मछुआरों का कल्याण पीएमएमएसवाई का मूल है और इस योजना के तहत मछुआरों के कल्याण से संबंधित व्यापक गतिविधि◌ियों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध (समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मछली पकड़ने पर प्रतिबंध) अवधि के दौरान पारंपरिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बीमा कवरेज शामिल है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा मछली पकड़ने वाली नौकाओं को उन्नत करके, सुरक्षा किट और संचार/ट्रैकिंग-उपकरण प्रदान करके, पीएमएमएसवाई आधुनिक फसलोपरांत बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता करता है, जैसे कि मछली पकड़ने के बंदरगाह/मछली उतारने के केंद्र, शीतगृह, बर्फ संयंत्र, मछली और मत्स्य उत्पादों के परिवहन के लिए प्रशीतित और इन्सुलेटेड वाहन, बर्फ/मछली रखने के बक्से के साथ मोटरसाइकिल, साइकिल और तिपहिया वाहन, आधुनिक स्वच्छ बाजार जैसे कि थोक मछली बाजार, खुदरा मछली बाजार और दुकानें, मोबाइल मछली और जीवित मछली बाजार।

(ग) और (घ): मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय , भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा प्रस्तुत मत्स्य पालन विकास परियोजनाओं को 3.57 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 6.31 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दी है। स्वीकृत गतिविधियों में पालन तालाबों का निर्माण, ग्रो आउट तालाब, सजावटी मछली पालन इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज, समुद्री शैवाल के लिए ब्रूड बैंक की स्थापना, मछली मूल्य वर्धित उद्यम, परिवहन वाहन, मीठे पानी की जलीय कृषि के लिए इनपुट शामिल हैं।

*****